2024:CGHC:42709

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित दिनांक 06.08.2024

आदेश उच्चारित दिनांक 04.11.2024

रिट याचिका (सिविल) कमांक 1105/2013

1— श्रीमती रीना मसीह पत्नि ईश्वरी मसीह, उम्र लगभग 50 वर्ष, वर्तमान में स्टाफ नर्स क पद कार्यरत, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लालपुर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर छ.ग.

—— याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1— छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य । सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव, आदि जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, मंदिर हसौद, जिला रायपुर छ.ग.

2— जाति प्रमाण पत्र उच्चस्तरीय छानबीन समिति, कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, पोस्ट विश्वविद्यालय, पी.एस.विश्वविद्यालय थाना, जिला रायपुर छ.ग.

3— आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, पोस्ट विश्वविद्यालय, पी.एस.विश्वविद्यालय थाना, जिला रायपुर छ.ग.

4— क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, द्वारा उनके निर्देशक, लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

—— उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) कमांक 3611/2013

1— श्रीमती रीना मसीह पत्नि ईश्वरी मसीह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी : एम.आई.जी.64, गौतम विहार, देवपुरी, पी.एस. न्यू राजेन्द्र नगर, जिला रायपुर छ.ग. पूर्व में स्टाफ नर्स के पद कार्यरत, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लालपुर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर छ.ग.

—— याचिकाकता

विरूद्ध

1— छत्तीसगढ़ राजय एवं अन्य । सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव, आदि जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

2— जाति प्रमाण पत्र उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा अध्यक्ष सह सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर—4, रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

3— क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, द्वारा उनके निर्देशक, लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

—— उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कमशः याचिकर्तागण कश्यप की ओर से	:	श्री अमृतो दास, अधिवक्ता एवं श्री घनश्याम अधिवक्ता कृते श्री मतीन सिद्धिकी अधिववक्ता।
राज्य की ओर से	:	श्री प्रमोद श्रीवास्तव, उप शासकीय अधिवक्ता ।

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, न्यायाधीश,</u>

<u>सीएव्ही आदेश</u>

1— चूंकि इन रिट याचिकाओं में एक समान मुद्दा और तथ्यों का एक समान प्रश्न शामिल है, इसलिये उन्हें समान रूप से सुना जा रहा है और इस आदेश के द्वारा निराकृत किया जा रहा है ।

2— याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपीसी कमांक 1105/2013 में उत्तरवादी कमांक 2, उच्चाधिकार प्राप्त जाति छानबीन समिति (संक्षेप में "जांच समिति") द्वारा जारी दिनांक 11.06.2013 के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया

है और यह माना गया है कि याचिकाकर्ता "गौड़" समुदाय से नहीं है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति है, इसने नियोक्ता विभाग को कानून के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया है । याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपीएस क्रमांक 3611/2013 में उत्तरवादी निर्देशक, क्षेत्रीय कुष्ठ संस्थान रायपुर (अनुलग्नक पी/1) द्वारा जारी दिनांक 30.07.2013 के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता, जो स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही थी, की सेवायें छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मद्देनजर समाप्त कर दी गयी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3— डब्ल्यू.पी.सी.क्रमांक 1105/2013 के अभिलेखों से परिलक्षित तथ्य संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता के दादा स्वर्गीय श्री बरनबास साधु, मूल रूप से बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा तहसील के सारबहरा गांव के निवासी थे । याचिकाकर्ता के दादा का जन्म वर्ष 1895—96 में सारबहरा गांव में हुआ था और वर्ष 1979 में उनकी मृत्यु हो गयी थी । उन्होंने अपनी पत्नि श्रीमती आर.साधु को बताया था कि उनके माता—पिता सारबहरा के गौड़ समुदाय से थे और जब वे 4 वर्ष के थे, तब उनके माता—पिता की मृत्यु हो गयी थी, उनकी देखभाल पेण्ड्रा रोड स्थित मिशनरी द्वारा की गयी थी, उन्हें अन्य अनाथ बालकों के साथ दमोह मिशन बोर्डिंग में भेज दिया गया था और मिशनरियों द्वारा उन्हें बाइबिल का नाम बरनबास आत्मज प्रभुदास साधु दिया गया था । उन्होंने वर्ष 1915 में गौंड़ समुदाय से ईसाई धर्म अपना लिया था । आगे यह भी कहा गया है

कि दमोह मिशन स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता के दादा को मिशनरियों ने उनके पैतृक स्थान बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा तहसील के गांव सरबहरा भेज दिया था, जहां वे पहले प्रधान पाठक बने और वर्ष 1931–32 में उन्होंने सरबहरा में एक मकान बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे श्री मंगल बाडी नामक व्यक्ति को बेच दिया, क्योंकि वे नौकरी छोड़कर बलौदा बाजार तहसील के बिश्रामपुर चले गये थे । आगे यह भी कहा गया है कि वर्ष 1940 में याचिकाकर्ता के दादा ने स्वर्गीय श्री रामकिशोर मालगुजार से पेंड्रीडीह, जरहागांव क्षेत्र में अपनी पत्नि के निवास स्थान पर जमीन खरीदी और पेंड्रीडीह में अपना मकान बनाया और खेती के लिये जमीन भी खरीदी । वर्ष 1940 में मालगुजारी प्रथा प्रचलित थी, तदनुसार स्टाम्प पेपर पर याचिकाकर्ता के दादा स्वर्गीय बी.साधु आत्मज प्रभुदस साधु, गौड़ ईसाई का नाम दर्ज है । आगे यह भी कहा गया कि वर्ष 1982 में याचिकाकर्ता के पिता श्री पी.के. साधु ने अनुसूचित जनजाति (गौंड़) प्रमाण पत्र जारी करने के लिये तहसीलदार बिलासपुर से संपर्क किया था, जो उनकी मां श्रीमती आर. साधु, पादरी बी.एल.गुलाल, रेव. जे.आर.सिंह, श्री एस.डी.राय, श्री केवल दास और श्री एलेक्जेंडर फिलिप्स के बयानों और स्वर्गीय श्री बी.साधु के पक्ष में 1940 के स्टाम्प पेपर के समर्थन में था, जिसमें जाति गौड़ और धर्म – ईसाइ धर्म दर्ज किया गया था । उक्त स्टाम्प पेपर को तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा अन्य स्त्रोतों से सत्यापित किया गया और पूरी संतुष्टि के बाद याचिकाकर्ता के पिता श्री पी.के.साधु के पक्ष में एसटी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(गौंड़) प्रमाण पत्र जारी किया गया । डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार एवं संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, बिलासपुर द्वारा जारी उक्त प्रमाण पत्र पर विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किये हैं तथा पी.के. साधु की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्ट की गयी है । 1940 का मूल स्टाम्प पेपर याचिकाकर्ता की दादी श्रीमती आर.साधु के पास उपलब्ध था ।

4— यह भी तर्क दिया गया है कि शासन के निर्देशानुसार सभी जाति प्रमाण पत्र आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ही जारी किये जाने हैं, तदनुसार, याचिकर्ता श्रीमती रीना मसीह के पक्षमें अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उसके पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलदार बिलासपुर द्वाराध विधिवत सत्यापन के पश्चात जारी किया गया था, जिस पर पुनः डिप्टी कलेक्टर, द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये गये थे । याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उसे क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, लालपुर, रायपुर में स्टाफ नर्स के विद्यमान रिक्ति के विरूद्ध वर्ष 1990 में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिये आरक्षित था । याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर ने पत्र दिनांक 04.09. 1998 द्वारा याचिकाकर्ता को अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अपना जाति प्रमाण पत्र सत्यापित कराने का निर्देश दिया था । सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, बिलासपुर ने आदेश दिनांक 05. 05.1999 द्वारा याचिकर्ता को जारी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

। याचिकाकर्ता ने उक्त आदश को डब्ल्यू.पी.क्रमांक 2400 / 1999 प्रस्तुत करके चुनौती दी । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.02. 2020 के आदेश द्वारा सहायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी और उत्तवादी क्रमांक 2 को 10 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया ।

5— उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता सभी मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 12.02.2003 को उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष उपस्थित हुई । फरवरी 2003 में जांच के बाद उत्तरवादी क्रमांक 2 से कोई पत्राचार नहीं हुआ और यह मान लिया गया कि जांच पूरी हो गयी है और दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया गया । इसी बीच, दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता के दादा स्वर्गीय श्री बी.साधु का 1940 का मूल स्टाम्प पेपर और पी.के.साधु (याचिकाकर्ता के पिता) की ऋण पुस्तिका दिनांक 14.01.2004 को खो गयी । उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 29.08.2005 को आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को जारी सामाजिक प्रास्थितिक प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को गौंड़ समुदाय से संबंधित नहीं घोषित किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था डब्ल्यू.पी.क्रमांक 4881 / 2005 । उक्त रिट याचिका को दिनांक 04.02.2011 को आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.08.2005 को रद्द कर दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया तथा उत्तरवादी कमांक 2 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया ।

6– तत्पश्चात, दिनांक 22.10.2011 के नोटिस के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उत्तरवादी क्र.2 ने एक सतर्कता रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और आगे यह भी जांच किया गया कि रिकॉर्ड में हर जगह जाति के कॉलम "क्रिश्चियन" दिखायी देता है और उसे 15.11.2011 तक अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया था । याचिकाकर्ता ने 22.10.2011 के उक्त नोटिस पर अपनी प्रारंभिक आपत्ति 15.11.2011 को प्रस्तुत की । उत्तरवादी कमांक 2 ने याचिकाकर्ता द्वारा उठायी गयी उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता को अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने और अपनी सामाजिक जाति की स्थिति को सिद्ध करने के लिये सामग्री भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया । तदनुसार, याचिकाकर्ता ने 31.01.2012 को अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया । याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के अलावा, याचिकाकर्ता ने 26.02.2012 को श्री निर्मल कुमार और श्री समशेर सैमुअल, बिश्रामपुर, विकासखण्ड बलौदा बाजार में चर्च के फादर को प्रस्तुत किया, उन्होंने चर्च के रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया, जो वर्ष 1941 के थे, यहां तक कि छानबीन समिति ने रिकॉर्ड मे यह भी अंकित किया कि उक्त दस्तावेज वर्ष 1941 का है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि श्री बी.साधु की जाति गौंड़ है । मूल रिकार्ड चर्च के फादरों द्वारा लाया गया था और छानबीन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समिति के समक्ष रिकॉर्ड का मूल रिकार्ड से मिलान किया गया और उसे सही होना पाया गया । तदुपरांत, याचिकाकर्ता ने छानबीन समिति की अनुमति से अपने मामले को पुष्ट करने के लिये दो और साक्षियों श्री भैयालाल और श्री कृष्णपाल से पूछताछ की । याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि छानबीन समिति ने यह सिद्ध करने के लिये फिर से जांच की कि याचिकाकर्ता उक्त जनजाति से संबंधित नहीं है और उक्त जनजाति का सदस्य नहीं है । उत्तरवादी क्रमांक 2 ने पुनः सतर्कता प्रकोष्ठ को पत्र दिनांक 11.04.2012 के द्वारा याचिकाकर्ता के दादा द्वारा निष्पादित बिक्रीनामों की जांच करने का निर्देश दिया । सतर्कता प्रकोष्ठ ने 27.04.2012 को पत्र लिखकर, उपपंजीयक, बिलासपुर को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया । सतर्कता प्रकोष्ठ ने उसी गांव के महंगू सतनामी के पुत्र पुरूदास से संबंधित कुछ भूमि के अभिलेख भेजे । उक्त दस्तावेज और अभिलेख के आधार पर याचिकाकर्ता को यह दिखाने के लिये दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया थाकि पुरूदास याचिकाकर्ता के परदादा नहीं थे । याचिकाकर्ता ने उक्त पुरूदास के वंश वृक्ष को प्राप्त करने के लिये आवेदन किया था, जो जाति से सतनामी थे, न कि गौंड़ । याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि श्री पुरूदास, याचिकाकर्ता के परदादा नहीं थे, बल्कि वे एक अलग परिवार से थे । पटवारी ने 14.05.2012 को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया । यह उल्लेख करना उचित होगा कि सतर्कता प्रकोष्ठ ने उक्त पुरूदास के परिवार के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सदस्यों के कथन भी लिये, जिन्होंने इस बात से इंकार किया कि याचिकाकर्ता का उनके परिवार से कोई लेना–देना है । लेकिन उक्त कथन याचिकाकर्ता को नहीं दिये गये । याचिकाकर्ता के परदादा प्रभुददास थे न कि पुरूदास । यह 1940 में निष्पादित बिक्रीनामों से भी स्पष्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के परदादा का नाम प्रभुदास दर्ज किया गया है । याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिये उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये कि पुरूदास का याचिकाकर्ता के परिवार से कोई लेना–देना नहीं है । इतना ही नहीं, सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में एक दस्तावेज शामिल था, जो 02.04.1959 को उप–पंजीयक के समक्ष निष्पादित एक विक्रय विलेख था, जिसमें याचिकाकर्ता के दादा अर्थात् श्री बी.साधु गवाह थे और 1959 के उक्त दस्तावेज में यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता के परदादा श्री प्रभदास साधु थे न कि पुरूदास । प्रतिवादी क्रमांक 2 ने स्वयं स्वप्रेरणा से याचिकाकर्ता और पुरूदास के उक्त परिवार के बीच संबंध स्थापित करने की कार्यवाही की थी । उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उक्त कृत्य पूरी तरह से मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर का है । याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि सतर्कता प्रकोष्ठ ने याचिकाकर्ता को अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है । याचिकाकर्ता ने जांच समिति से यह भी अनुरोध किया कि वैकल्पिक रूप से यह विचार किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही 20 वर्ष से अधिक सेवा की है और याचिकाकर्ता को भविष्य में कोई भी लाभ प्राप्त करने से वंचित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है और उसे अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता है । 21.08.2012 को अंतिम रूप से दलीले सुनी गयी और मामले को आदेश के लिये बंद कर दिया गया । 11.06.2013का प्रश्नाधीन आदेश याचिकाकर्ता को 20.06.2013 के कवरिंग लैटर के साथ प्राप्त हुआ ।

7– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 11.06.2013 का विवादित आदेश अवैध, मनमाना और अनुमानों पर आधारित है तथा याचिकाकर्ता के मामले की स्थिति के संबंध में उचित जांच किये बिना ही इसे जारी किया गया है । उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रश्नाधीन आदेश याचिकाकर्ता द्वारा रिकार्ड पर लाये गये पर्याप्त सामग्री और साक्ष्यों को पूरी तरह से नजर–अंदाज करके पारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि याचिकाकर्ता गौंड़ समुदाय से संबंधित है । उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा की गयी जांच पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट होने के बाद ही आगे बढ़ सकती थी । सतर्कता प्रकोष्ठ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सभी प्रासंगिसक अभिलेखों में जहां जाति दर्ज की जानी है, वहां "ईसाई" दर्ज है, और इसलिये वे याचिकाकर्ता की जाति की स्थिति की निश्चितता से पता नहीं लगा सकते । यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं थी, जा यह दिखाती हो कि याचिकाकर्ता गौंड़ समुदाय से संबंधित न होकर गौंड़ जाति का प्रमाण पत्र का दावा किया था । याचिकाकर्ता द्वारा यह दिखाने के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लिये प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने के बाद कि वह गौड़ समुदाय से है, सबूत का भार याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत रूप से निवर्हन किया गया था । उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रश्नाधीन आदेश पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म को धर्म के रूप में अपनाने/अपनाने के बाद आदिवासी नहीं रह गया और "ईसाई" का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है याचिकाकर्ता आदिवासी समुदाय से संबंधित नहीं है ।

8– अपने तर्क को पुष्टि करने के लिये वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्न न्याय दृष्टांतों को प्रस्तुत किये –***Ku. Madhuri Patil Vs Additional Commissioner (1994)6 SCC 241, in the case of Smt. Yogita Somawar (Thawait) Vs. State of Madhya Pradesh vide its order dated 26/06/2012 passed in W.P. No. 14147/2011, State of Maharastra Vs Milind and Others, (2001) 1 SCC, Dattu, S/o Namdev Thakur V. State of Maharastra and Others, (2012) 1 SCC 549.***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9– उत्तरवादी राज्य ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों यथा : राजस्व अभिलेखों और स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी सामाजिक स्थिति "Cristion" (ईसाई) सामाजिक स्थिति के रूप में दर्शायी गयी है और याचिकाकर्ता या उसके पूर्वजों का कोई दस्तावेज या अधिकारिक दस्तावेज याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि वह अनुसूचित जनजाति (गौंड़) की है । यह भी तर्क दिया गया है कि सामाजिक स्थिति के

प्रमाण का दायित्व और भार उस व्यक्ति पर है, जो इससे उत्पन्न होने वाले लाभ का दावा कर रहा है । याचिकाकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह विफल रही है । यह भी तर्क किया गया है कि छानबीन समिति ने ***"Ku. Madhuri Patil Vs Additional Commissioner (1994)6 SCC 241"*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया है और आदेश पारित किया है । यह भी तर्क दिया गया है कि छानबीन समिति के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म अपना लिया है और अभिलेख में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि उसने आरक्षण का लाभ उठाने के लिये फिर से आदिवासी गौंड़ की प्रथा को अपनाया है । विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि जाति प्रमाण पत्र के लाभार्थी को निम्नलिखित बातें स्थापित करनी होगी कि इस बात का पूर्णतः स्पष्ट प्रमाण होना चाहिये कि वह उस जाति से संबंधित है, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश,1950 द्वारा मान्यता दी गयी है और उस मूल धर्म में पुनः धर्मांतरण हुआ है, जिससे उसके माता—पिता और पिछली पीढ़ी संबंधित थी और समुदाय द्वारा स्वीकृति स्थापित करने के लिये साक्ष्य होना चाहिये और प्रत्येक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और यदि कोई प्रमाणित नहीं है, तो मान्यता संभव नहीं है ओर वर्तमान मामले में सभी तत्व गायब हैं,इसलिये, जांच समिति ने याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है, इस प्रकार, यह रिट याचिका निरस्त करने काअनुरोध है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10– नियोक्ता ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति (एसटी) के आरक्षित पद पर क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्टाफ नर्स के पद नियुक्त किया गया था । याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिये कलेक्टर, बिलासपुर को भेजा था । संयुक्त कलेक्टर, कलेक्टोरेट, बिलासपुर ने दिनांक 10.01.1999 को पत्र द्वारा सत्यापन रिपोर्ट भेजी, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि याचिकाकर्ता की जाति "गौड़" नहीं है, इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत गौड़–एसटी समुदाय का प्रमाण पत्र वैध नहीं है । आगे यह भी कहा गया कि सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 10 के अनुसार दिनांक 16.02.1999 के आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था । सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बिलासपुर ने 05.05.1999 को याचिकाकर्ता को एस.टी. पद पर दी गयी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया । उच्चाधिकार प्राप्त समिति के आदेश के परिपालन में, दिनांक 21.09.2005 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्त रद्द कर दी गयी, जिस पर इस न्यायालय के समक्ष आपत्ति की गयी थी और इस न्यायालय ने दिनांक 04.02.2011 के आदेश द्वारा डब्ल्यू.पी. कमांक 4881 / 05 में उच्चाधिकार प्राप्त जाति छानबीन समिति, रायपुर के दिनांक 29.08.2005 के आदेश को निरस्त कर दिया है, और छानबीन समिति को निर्देश दिया गया है वह ***Kumari Madhuri Patil and another Vs. Additional Commissioner, TribaL Development and others,***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1994) 6 SCC 241, in Director of Tribal Welfare, Government of A.P. Vs. Laveti Giri and another, (1995) 4 SCC 32 और इस उच्च न्यायालय द्वारा ***Dinesh Kumar Bhagoria Vs. State of Chhattisgarh and others, and other connected matters W.P. (S)No.3338/2007 decided on in 19th August, 2010*** में दिये गये निर्णय के अनुसार आगे बढ़े । पुनः जांच समिति ने दिनांक 11.06.2013 के विवादित आदेश के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया, उन्होंने डब्ल्यू.पी.सी.क्रमांक 1105 / 2013 प्रस्तुत की, जिस पर इस न्यायालय ने 02.08.2013 को स्थगन दिया तथा निर्देश दिया कि यदि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो अगली सुनवाई की तिथि तक याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरित आदेश जारी है, इसलिये याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11– इस न्यायालय ने छानबीन समिति के अभिलेख को आहूत किया और पाया गया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 21.04.2011 को एक नोटिस जारी कर अपने रीति–रिवाज, विवाह, अपने द्वारा अपनाये जा रहे भगवान की पूजा, संस्कृति के साथ–साथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना, जिसमें वह स्वयं को जिस जाति का होने का दावा कर रही है, उसका उल्लेख है, मिसल भू–अभिलेख, शैक्षणिक दस्तावेज या 30. 04.2011 तक कोई सरकारी दस्तावेज या जातीय प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था, लेकिन याचिकाकर्ता केवल दिनांक 03.06.1940

का विक्रय विलेख, 2008–09 की किश्तबंदी खतौनी, दिनांक 02.04.1969 का विक्रय विलेख और 2000 से 2009 का खसरा पांचसाला ही प्रस्तुत किया है । दिनांक 21.09. 2011 की सतर्कता रिपोर्ट भी उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि खसरा पांचसाला और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर, गौंड़ शब्द जोड़ दिया गया है । गौंड़ जाति का कोई वर्णन नहीं है । मामले के आदेश पत्रिका से यह भी पता चलता है कि 15.11.2011 को याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुई और कार्यवाही शुरू करने पर आपत्ति व्यक्त की और अपने पूर्वजों की जाति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये 3 सप्ताह का समय भी मांगा, इसलिये कार्यवाही 05.12.2011 तक के लिये स्थगित कर दी गयी और प्रकरण 05.12.2011 तक के लिये स्थगित कर दी गयी । कार्यवाही कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गयी और प्रकरण 17.01. 2012 के लिये नियत किया गया । 17.01.2012 को आवेदिका अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुई और यह भी कही कि चूंकि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 4 महीने पहल ही बीत चुके हैं, इसलिये छानबीन समिति का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । छानबीन समिति ने यह भी देखा कि सतर्कता रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के पूर्वजों के मूल स्थान और उनकी जाति के बारे में कोई सत्यापन नहीं ह और आवेदिका ने अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये समय दिये जाने की प्रार्थना की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया । 31.01.2012 को याचिकाकर्ता उपस्थित हुई और अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और प्रकरण की अगली सुनवाई 07.02.2012 नियत की गयी । 07.02.2012 को याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता और साक्षियों के साथ उपस्थित हुई, लेकिन वह आगे के सबूतों की जांच करना चाहती थी, इसलिये उसने समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया और मामले की अगली सुनवाई 26.03.2012 को हुई । 26.03.2012 को साक्षियों का परीक्षण किया गया, लेकिन यह साबित करने के लिये कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता गौंड़ समुदाय से संबंधित है ।कार्यवाही 01.05.2012, 12.06. 2012, 10.07.2012, 31.07.2012 और 21.08.2012 के लिये स्थगित कर दी गयी । 21.08.2012 को याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध है, वह प्रस्तुत कर चुकी है । विद्वान समिति ने सभी तथ्यों पर विचार करने तथा कानून पर भी विचार करने के पश्चात यह पाया कि आरक्षण का लाभ लेने का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो आरक्षण के लाभ का दावा करता है, लेकिन याचिकाकर्ता इसे प्रस्तुत करने में विफल रही है, इसलिये समिति ने जाति प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया । चूंकि जाति प्रमाण पत्र अवैध पाया गया, इसलिये छानबीन समिति ने नियोक्ता को याचिकाकर्ता के विरूद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया तथा तदनुसार उसकी सेवायें 30.07.2013 को समाप्त कर दी गयी, जिसका विरोध उसी तथ्यात्मक तथा विधिक आधारों पर डब्ल्यू.पी.एस.क्रमांक 3611 / 2013 में किया गया है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12– यह न्यायालय ने पुनरावृत्ति से बचने के लिये डब्ल्यूपीएस में प्रस्तुत तथ्यों

पर विचार नहीं किया है, क्योंकि उसी तथ्यात्मक बिंदुओं पर याचिकाकर्ता ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसे इस न्यायालय ने पहले ही निर्णय के पूर्ववर्ती कंडिकाओं में अस्वीकार कर दिया है ।

13– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि आरोप की गंभीरता को देखते हुये याचिकाकर्ता को जांच समिति द्वारा परीक्षित किये गये साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिये, ऐसे में जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है और केवल इसी आधार पर प्रश्नाधीन आदेश रद्द किये जाने योग्य है । अपने इस तर्क को पुष्ट करने के लिये उन्होंने ***the judgment of the Hon'ble Supreme Court in case of Ayaaubkhan Noorkhan Pathan vs. State of Maharashtra and Others. 2013 (4) SCC 465*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया है :–

> "46. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुये एवं आक्षेपों की गंभीरता पर विचार करते हुये, चूंकि छानबीन समिति ने इस मामले के संबंध में पहले ही जांच कर ली है और अपीलार्थी की एकमात्र शिकायत है कि प्राकृतिक न्यय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, और तथ्य यह है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनों का निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिये हम निर्देश देते हैं कि छानबीन समिति द्वारा कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने से पहले, प्रतिपरीक्षण के लिये साक्षियों को बुलाने के उनके आवेदन का निराकरण किया जाना चाहिये और अपीलार्थी को साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिये, जिनकी समिति के समक्ष जांच की गयी है । हम आगे छानबीन समिति को निर्देश देते हैं कि उसके बाद वे विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करे । यदि छानबीन समिति ने पहले ही कोई निर्णय ले लिया है, जो वह प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला होगा और वह दोषपूर्ण माना जायेगा ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14— यह तर्क निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जांच समिति के समक्ष उसे प्रतिपरीक्षण का अवसर देने के लिये कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने के लिये किसी प्रार्थना के अभाव में, याचिकाकर्ता द्वारा लिये गये आधारों पर विचार नहीं किया जा सकता । इस प्रकार, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क कि याचिकाकर्ता का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया है, गलत है और इसे निरस्त किया जाना चाहिये ।

15— जांच समिति के अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिये कोई भी सामग्री साक्ष्य अभिलेख में प्रस्तुत करने में विफल रही है कि वह गौंड़ समुदाय से संबंधित है, इसलिये जांच समिति के निष्कर्षो में कोई विकृति नहीं है । यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि जांच समिति द्वारा पारित

आदेश की वैधता तय करते समय उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब अभिलेख में विकृति या अवैधता स्पष्ट हो । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***नवनीत कौर हरभजन सिंह विरूद्धमहाराष्ट्र राज्य के मामले में सिविल अपील कमांक 2741–2743 / 2024 में 04.04.2024 को निर्णय दिया है, जिसकी कंडिका 15 से 17 में निम्नानुसार माना गया है –***

> 15. अब, जब छानबीन समिति, जिसे मुख्य रूप से जाति के दावे की पुष्टि के लिये तथ्यों के छानबीन का काम सौंपा गया है, ने अपने मस्तिष्क का उपयोग किया और निष्कर्ष पर पहुंची, तो ऐसी स्थिति में, क्या उच्च न्यायालय द्वारा एक घुमंतू जांच की आवश्यकता थी ? सुस्थापित है कि उच्च न्यायालयों के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय को भी अपीलीय निकाय की तरह तथ्यात्मक मुद्दों की गहन जांच से बचना चाहिये, जब तक कि संबंधित प्राकिारी द्वारा लिये गये निष्कर्ष पहली नजर में विकृत न हो या विधि की दृष्टि में अस्वीकार्य हो । वर्तमान मामले में, छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश साक्ष्य के उचित विश्लेषण और मस्तिष्क के उपयोग को दर्शाता है और पक्षपात / दुर्भावना या अधिकार क्षेत्र की कमी के किसी भी आक्षेप की अनुपस्थिति में, छानबीन समिति के निष्कर्षो को बाधित करना स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।
>
> 16. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुये, यदि हम उक्त परिप्रेक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में उच्च न्यायालय के निष्कर्षो पर दृष्टि डाले और प्रत्येक निष्कर्ष को अलग–अलग देखे, तो यह आवश्यक रूप से निर्णय पर भार डालेगा और इसलिये, हम अपने विश्लेषण को केवल उन निष्कर्षो तक सीमित रखना उचित रखना उचित समझते हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने उन दो दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिये जांच समिति द्वारा अपनाये गये तर्को को उलट दिया है, अर्थात् अपीलार्थी के दादा के वास्तविक प्रमाण पत्र और अपीलार्थी के दावे को स्वीकार करने के लिये वर्ष 1932 का किरायेदारी का अनुबंध । वास्तविक प्रमाण पत्र के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच समिति ने सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार नहीं किया कि मूल छात्र रजिस्टर उप–प्रधानाचार्य द्वारा निरीक्षण के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया था और उक्त रजिस्टर में की गयी अंतिम दो प्रविष्टियों की लिखावट और स्याही मेल नहीं खाती थी । उच्च न्यायालय ने स्वयं रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ की रंगीन फोटोकॉपी का अवलोकन किया । 146 (2024) 4 एस.सी.आर. डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस और उक्त साक्ष्य का विश्लेषण सराहना करते हुये, लिखावट और स्याही में अंतर की पुष्टि की । दूसरी ओर, जहां तक वर्ष 1932 के किरायेदारी अनुबंध का सवाल है, उच्च न्यायालय ने जांच समिति के साथ विरोधाभास में यह विचार व्यक्त किया कि कथित किराया अनुबंध पर अपीलार्थी ने बहुत बाद में विश्वास किया था, साथ ही इस तथ्य को भी जोड़ा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि निजी किराया अनुबंध में मकान मालिक और किरायेदार के किरायेदार की जाति का उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं रखता है । उच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि किराया अनुबंध को प्रमाणित करने के लिये जांच समिति ने श्रीमती राधा अदुकिया के शपथ पत्र पर बहुत अधिक विश्वास किया, अर्थात् पूर्व मकान मालिक की पोती, जिसने अपीलार्थी के दादा के पक्ष में संपत्ति पर दी थी । उक्त शपथ पत्र में, श्रीमती अकुदिया ने साक्ष्य दी कि उनके दादा ने अपीलार्थी के दादा के पक्षमें संपत्ति किराये पर दी थी और उसने आगे उनके हस्ताक्षरों को भी पहचान की । श्रीमती अकुदिया की उम्र साक्ष्य के समय लगभग 82 वर्ष थी और उन्होंने कथित तौर पर 55 साल पहले किये गये एक अनुबंध पर अपने दादा के हस्ताक्षरों को पहचाना है । इसी दृष्टि में, उच्च न्यायालय का मानना था कि जांच समिति उक्त किराया अनुबंध की प्रमाणिकता का पता लगाने में विफल रही है । इन प्राथमिक निष्कर्षो के साथ, उच्च न्यायालय ने जांच समिति के आदेश को अपास्त कर, उसे निरस्त कर दिया ।

17. जांच समिति द्वारा पारित आदेश और अपीलार्थी के दावे के संबंध में अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि तक पहुंचने के लिये उसके द्वारा लिये गये निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुये, इस स्तर पर, यदि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अधीन अधिकार क्षेत्र के आहवान के लिये विधि के स्थापित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य से उच्च

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय द्वारा किये गये पूरे अभ्यास को देखते हैं, विशेष रूप से उत्प्रेषण रिट याचिका के संबंध में, तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि उच्च न्यायालय ने किसी भी दुर्भावना या दुराग्रह के आक्षेप की अनुपस्थिति में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके स्पष्ट रूप से अतिक्रमण किया है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में उचित रूप से स्थापित किया गया है, उत्प्रेषण रिट याचिका विशेषधिकार की रिट याचिका है, इसे केवल पूछने पर लागू नहीं किया जाना चाहिये । एक उच्च न्यायालपय के लिये उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्याय करने के लिये साक्ष्य की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन करना नहीं है, जब तक कि इसकी आवश्यकता हो । अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षी है और इसका प्रयोग करने वाले न्यायालय को, तथ्यों के आधार पर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने से बचना चाहिये । साथ ही, उसे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिये और किसी निष्कर्ष में हस्तक्षेप करते हुये अपना निष्कर्ष नहीं देना चाहिये, जब तक कि वह विकृत न हो । सर्टिओरारी के लिये रिट में उच्च न्यायालय को तब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, जब ऐसी चुनौती आपत्तिजनक निष्कर्ष को बनाये रखने के लिये सामग्री की अपर्याप्तता के आधार पर हो । पर्याप्तता का आंकलन या ***(2024) 4 एससीआर 147 नवनीत कौर हरभजन सिंह कुंडल्स उर्फ नवनीत कौर रवि राणा विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य*** और अन्य मामले में साक्ष्य की पर्याप्तता, जांच

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समिति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ऐसे आधारों को फिर से चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं दिया जाना चाहिये ।

16– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क है कि यद्यपि उसने ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन वह गौंड़ है, लेकिन अभिलेख में ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता चले वह गौड़ में वापस आ गयी है या उसने आदिवासी के रीति–रिवाज और संस्कृति का पालन किया है, जिसे याचिकाकर्ता को यह साबित करना था कि वह गौंड़ है । पुनः धर्मान्तरण और आरक्षण के लाभों को प्रदान करने के संबंध में मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ***के.पी.मनु विरूद्ध सामुदायिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिये जांच समिति (2015) 4 एससीसी 24*** में उद्घृत किया गया है, जो इस प्रकार है :–

> "38. हमारी राय में, जाति प्रमाण का लाभार्थी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को तीन बातें साबित करनी होगी – ;पद्ध इस बात का बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण पत्र होना चाहिये कि वह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 द्वारा मान्यता प्रापत जाति से संबंधित है, ;पपद्ध माता–पिता और पिछली पीढ़ियों के मूल धर्म में पुनः धर्मान्तरण हुआ है, और ;पपपद्ध समुदाय द्वारा स्वीकृति स्थापित करने के लिये सबूत होने चाहिये । हमारे अनुसार, प्रत्येक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि कोई एक प्रमाणित नहीं है, तो मान्यता संभव नहीं होगी ।
>
> 39. इस मामले में, जहां तक एक पहले पहलू का प्रश्न है, जैसा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि हमने पहले कहा है कि कोई विवाद नहीं है । यदि कोई व्यक्ति जो ईसाई माता–पिता से पैदा हुआ है, और अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया है, वह अन्य योग्यताओं के अधीन हिंदू धर्म अपनाने के बाद जाति प्रमाण पत्र का लाभ उठा सकता है, तो यह तर्क की कोई मजबूती नहीं हो सकती कि वह इसी तरह का लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके दादा–दादी का धर्म परिवर्तन हुआ था और वह उन माता–पिता से पैदा हुआ था, जो ईसाई थे । वे उस जाति के रहे होंगे और धर्म परिवर्तन के बाद समुदाय ने उन्हें स्वीकार कर लिया होगा । ***एस0अनबालागण*** के मामले में दिये गये अधिकार से हमारा दृष्टिकोण पुष्ट होता है । इस प्रकार,इस मामले में छानबीन सिमिति और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये तर्क अस्वीकार्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17– जाति प्रमाण पत्र की वास्तविकता साबित करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में विधि को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है तथा यह माना गया है कि यह साबित करने का भार कि वह जनजाति से संबंधित है, उसी पर है, क्योंकि यह माना जाता है कि जाति प्रमाण पत्र चाहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उस जाति, जनजाति या वर्ग से अवगत होगा, जिससे वह संबंधित है तथा उस दावे को सिद्ध करना होगा । वर्तमान मामले में छानबीन समिति ने याचिकाकर्ता को यह साबित करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया कि वह गौड़ समुदाय से संबंधित है, लेकिन उसने अभिलेख में उन दस्तावेजों एवं सामग्रियों का रखकर अवसरों का लाभ नहीं उठाया है । इस प्रकार, छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने में कोई

अवैधानिकता नहीं की है । सबूत के भारत के संबंध में मुद्दा ***अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम व अन्य विरूद्ध जगदीश बलराम बहिरा एवं अन्य {2017 (8) एससीसी 670}*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्याालय ने निम्नानुसार माना है :—

54. यह ध्यान देना चाहिये कि धारा 10 में उन नागरिक लाभों को वापस लेने का प्रावधान है,जो किसी व्यक्ति को भाग—ए आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने के दावे के आधार पर प्राप्त हुये हैं, जब उचित जांच और सत्यापन के बाद दावा अमान्य हो जाता है । धारा 10, जैसा कि इसके हाशिये पर लिखा है, झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त लाभों को वापस लेने का प्रावधान करती है । धारा 11 में अपराध और दण्ड का प्रावधन है । जाति प्रमाण पत्र के अमान्य होने के दो परिणाम हो सकते हैं : (i) झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उम्मीदवार द्वारा प्राप्त लाभों को तत्काल रद्द या वापस लेना, ;पपद्ध ऐसे दावेदार के विरूद्ध मुकदमा चलाना जो प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, जिसे जांच समिति द्वारा झूठा पाया जाता है । उम्मीदवार का इरादा तभी प्रासंगिक हो सकता है, जब आपराधिक कृत्य के लिये मुकदमा चलाया जा रहा हो । हालांकि, जहां झूठे जाति दावे के आधार पर प्राप्त लाभों को वापस लेने का सिविल वाद है, वहां बेईमानीपूर्वक आशय की आवश्यकता विधिक आशय के विपरीत होगा । इस तरह की आवश्यकता को लागू करने में, ***शालिनी (पूर्वोक्त)*** में दो न्यायाधीशों की पीठ ने, बहुत सम्मान के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साथ, गलती की है । इसलिये, ***शालिनी (पूर्वोक्त)*** में दिये गये फैसले को सही सिद्धांत निर्धारित न करने वाला माना जाना चाहिये । प्रकृति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदक की मानसिक प्रक्रियाओं में गहराई से जाना असंभव कार्य होगा । जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों से संकेत मिलता है, एक व्यक्ति, जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और आरक्षित पद पर नियुक्ति या आरक्षित सीट के विरूद्ध शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या अनुच्छेद 15 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदान किये गये किसी अन्य लाभ को प्राप्त करना चाहता है, उसे जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करना होगा । यह साबित करने का भार कि वह ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग से संबंधित है, दावेदार पर है । विधायिका ने वैध रूप से यह मान लिया है कि जो व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र चाहता है, उसे निश्चित रूप से उस जाति, जनजाति या वर्ग के बारे मे पता होना चाहिये, जिससे वह संबंधित है और उसे अपना दावा साबित करना चाहिये । यदि आरक्षित भाग ए श्रेणी से संबंधित होने का दावा असत्य पाया जाता है, तो जाति प्रमाण पत्र को इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिये कि इसे गलत तरीके से प्राप्त किया गया है । उम्मीदवार को लाभ प्रदान करना धोखाधड़ी है, क्योंकि उम्मीदवार ने एक निर्दिष्टि जाति, जनजाति या वर्ग के लिये विशेष रूप से आरक्षित लाभ प्राप्त किया है,जिसका वह हकदार नहीं है । ***शालिनी (पूर्वोक्त)*** में दिये गये निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे और वैधानिक प्रावधान को खत्म कर देंगे । ***शालिनी (पूर्वोक्त)*** में दिये गये

निर्णय द्वारा धारा 10 के प्रावधानों पर जो व्याख्या की गयी है, वह स्पष्ट रूप से गलत है ।

18— उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक विषयों पर विश्लेषण एवं विचार उपरांत यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने समिति के समक्ष यह साबित करने में असमर्थ है कि वह गौंड़ समुदाय से संबंधित है और धर्म परिवर्तन के बाद भी वह गौंड़ संस्कृति और रीति रिवाज का पालन कर रही है, इस प्रकार जांच समिति द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से न्यायोचित है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । चूंकि, याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा रद्द कर दिया गया है और इसकी पुष्टि की गयी है, अतएव, परिणाम का पालन किया जाना चाहिये ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19— परिणामस्वरूप दोनों रिट याचिकाएं तदनुसार खारिज किये जाने योग्य है, उन्हें खारिज किया जाता है । डब्ल्यूपीसी क्रमांक 1105 / 2013 में दिनांक 02.08.20113 को पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है ।

सही / —
(नरेन्द्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur